न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/99

1. द्वारका बाई बेवा गंगाराम जाति गुर्जर निवासी जालेडा ।
2. महावीर आत्मज गंगाराम जाति गुर्जर निवासी जालेडा ।
3. माया राम आत्मज गंगाराम जाति गुर्जर निवासी जालेडा ।
4. देवप्रकाश आत्मज गंगाराम जाति गुर्जर निवासी जालेडा ।
5. लेखराज आत्मज गंगाराम जाति गुर्जर निवासी जालेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
6. रामबिलासी पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी जालेडा ।
7. राजमल आत्मज गोमदा जाति गुर्जर निवासी जालेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्री पुत्री धन्ना लाल पत्नी बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी नोताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. हरिप्रकाश आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी गेण्डोली तहसील के0 पाटन ।
3. प्रहलाद आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी गेण्डोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जालेडा तहसील के0 पाटन में खाता संख्या 08 के खसरा नम्बर 120 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 232 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 233 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 243 रकबा 1.17 हैक्टर कुल 09 किता की कुल रकबा 8.06 हैक्टर भूमि स्थित

है। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा वादिनी स्व0 धन्ना जी की पुत्री है तथा दूसरी पुत्री रामनाथी की मृत्यु हो चुकी है । भंवर लाल अविवाहित फौत हो गया है व दयाराम भी फौत हो गया है । स्व0 धन्ना जी व गोमदा जी सगे भाई हैं इस कारण उक्त भूमि में वादिनी व मृतक रामनाथी का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी कम 1 व 2 वादिनी के हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी में अपने 1/4 हिस्से का पृथक से विभाजन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी के 1/4 हिस्से का प्रथक से बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने का आदेश पारित किया जावे । विभाजन उपरान्त वादिनी के प्राप्त हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी कम 1 व 2 वादिनी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.01.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18.01.2017 के विरूद्ध वादिनी रामचन्द्री बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.04.2017 के द्वारा दावा वादिनी स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1 व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्व में ही दिनांक 18.01.2017 को निर्णय पारित कर वाद खारिज कर दिया और पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी । जिसमें गंगाराम की मृत्यु होने पर कायममुकामान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर कायममुकामान की तलबी नहीं करवायी गई और न ही संशोधित शीर्षक पेश होने के उपरान्त कायममुकामान की तलबी करवायी गई है । रिव्यू प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट को कोई तामील नहीं करवायी और न ही इस सम्बन्ध में कोई सम्मन जारी किये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अपीलान्ट को बिना सूचना दिये ही दिनांक 18.06.2014 को जवाबदावा बन्द कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी जनवरी, 2018 में पटवारी हल्का से बात करने पर पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दी गई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी 09 किता की रकबा 08.06 हैक्टर वाके ग्राम जालेडा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित है जिसके बाबत् रेस्पोडेन्ट कम 1 रामचन्द्री बाई के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जो दिनांक 18.01.2017 को खारिज किया गया । तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट कम 1 के द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्ट को सूचना एवं नोटिस दिये बिना स्वीकार करते हुए निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया । पूर्व में दिनांक 18.01.2017 को निर्णय पारित कर दावा खारिज किया गया था और पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया गया । गंगाराम की मृत्यु हो जाने पर कायममुकामान का प्रार्थना पत्र पेश हुआ । कायममुकामान की तलबी नहीं की गई न ही संशोधित शीर्षक पेश हुआ और दावा खारिज किया गया । रिव्यू प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट को तामील नहीं करवाई गई जबकि रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद अपीलान्ट को सूचित किया जाना आवश्यक था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया गया था जिसको त्रुटिपूर्ण रूप से दिनांक 18.01.2017 को खारिज किया गया था जिसमें रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया । रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करना वादी का अधिकार है जिसको विधि सम्मत रूप से स्वीकार किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.01.2017 को दावा वादिनी खारिज किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.01.2017 के अनुसार बकुलाय हाजिर है और निर्णय के अनुसार प्रतिवादी कम 3 और 4 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । प्रतिवादी कम 1 और 2 का जवाब बन्द किया गया है परन्तु उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही नहीं की गई है । इसके उपरान्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश हुआ है तो इस प्रार्थना पत्र की नकल प्रतिवादीगण को नहीं दी गई है जो कि आवश्यक है । बिना प्रतिवादीगण से रिव्यू प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा वादिनी स्वीकार किया गया है । हम इस प्रकरण में प्रतिवादीगण को न्यायहित में जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं । अपीलान्ट प्रतिवादीगण को रिव्यू प्रार्थना

पत्र पर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर प्रदानर किये बिना रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावे को डिक्री करना न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.04.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 19.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा